**<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–02, मथुरा।</u>**

**सत्रवाद सं०–37/2013**

राज्य **बनाम** गिरीश कुमार शर्मा आदि

मु०अ०सं०–569/2012
धारा–302 भा०दं०सं०
थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा।

**<u>दिनांक–19.07.2024</u>**

पेश। पुकार पर अभियुक्तगण गिरीश कुमार शर्मा व राकेश उपाध्याय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित। पक्षकारों द्वारा प्रार्थनापत्र 121 ख के निस्तारण पर बल दिया गया।

**<u>2–निस्तारण प्रार्थनापत्र 121 ख</u>**

**2.1–** प्रार्थनापत्र 121 ख आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा द्वारा पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त को तलब कर उससे प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किये जाने की याचना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23–05–2024 को समय अभाव के कारण पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त से प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी थी तथा उसके उपरांत आगे की निर्धारित तिथि पर साक्षी अनुपस्थित रहा था। दिनांक 28–06–2024 को साक्षी लंच अवकाश की समाप्ति उपरांत आया था, लेकिन अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से विरत रहने और दिनांक 01–07–2024 से लागू होने वाले कानूनों पर बार एसोसिएशन में परिचर्चा गोष्ठी होने के कारण आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो सके, जिस कारण न्यायालय द्वारा पी०डब्लू०–02 से उसकी प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर दिया गया है, जिससे आवेदक/अभियुक्त को सख्त हकतलफी है, क्योंकि पी०डब्लू०–02 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है।

**2.2–** उपरोक्त का विरोध करते हुये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) का कथन है कि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के 'एक्शन प्लॉन' के अंतर्गत चिन्हित है। यह कि साक्षी गैर जनपद का निवासी है तथा कई बार न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हो चुका है। किंतु अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा टाले जाने के कारण गवाह बिना जिरह के लौट जा रहा है, जबकि दूसरे अभियुक्त द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है।

**3–** सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

**4–** पत्रावली के परिशीलन से उल्लेखनीय है कि प्रकरण धारा 302 सहपठित धारा 34 भा०द०सं० से संबंधित है, जो कि दिनांक 04–02–2013 को सत्र न्यायालय को सुपर्द होकर प्राप्त हुआ था। यह कि सत्रवाद उपरोक्त में दिनांक 02–05–2013 को आरोप विरचित किये जाने के उपरांत पत्रावली दिनांक 21–05–2013 से प्रतिरक्षा में नियत चली आ रही है। यह कि पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त की मुख्य परीक्षा प्रथम बार दिनांक 28–07–2016 को संपन्न हुयी थी, जिसकी प्रतिपरीक्षा को आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण अग्रिम तिथि के लिये स्थगित की गयी थी, जो कि पी०डब्लू०–02 की अनुपस्थिति के कारण अग्रिम तिथियों पर स्थगित रही थी। यह कि दिनांक 04–11–2016 को पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त को जान का खतरा होने के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। यह भी कि साक्षी कष्ण कान्त दिनांक 17–02–2017 को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित रहा था, किंतु अभियुक्तगण द्वारा हस्ताक्षर करके चले जाने के कारण, उससे प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकी थी। तत्क्रम में सह अभियुक्त द्वारा दिनांक 01–06–2018 व 03–02–2023 को साक्षी कृष्ण कान्त से प्रतिपरीक्षा पूर्ण किये जाने के उपरांत, आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा द्वारा साक्षी कृष्णकान्त से प्रतिपरीक्षा आरंभ की गयी थी जो समय अभाव के कारण जारी रही थी। यह कि दिनांक 07–12–2023 को साक्षी पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित था, किंतु आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण साक्षी कृष्ण कान्त से आवेदक/अभियुक्त का शेष प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त कर साक्षी पी०डब्लू०–02 कृष्ण कान्त को उन्मोचित किया गया था। तत्क्रम में आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 110 ख को न्यायालय आदेश दिनांकित 15–04–2024 द्वारा हर्जे पर स्वीकार करते हुये उसे साक्षी से प्रतिपरीक्षा का एक अवसर प्रदान किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 23–05–2024 को साक्षी से आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा द्वारा पांच पृष्ठ प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी व समयाभाव के

कारण प्रतिपरीक्षा अग्रिम तिथि के लिये स्थगित की गयी थी। यह कि नियत दिनांक 27–06–2024 को साक्षी की अनुपस्थिति के कारण अभियोजन के स्थगन प्रार्थनापत्र पर पी०डब्लू०–02 से प्रतिपरीक्षा की अग्रिम दिनांक 28–06–2024 नियत की गयी थी। जिस तिथि को साक्षी समक्ष न्यायालय उपस्थित था, किंतु आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण पी०डब्लू०–02 से आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा की न्यायालय आदेश दिनांकित 16–02–2024 के क्रम में प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त करते हुये पत्रावली पी०डब्लू०–03 विनय कुमार तिवारी की प्रतिपरीक्षा में नियत की गयी थी।

**4.1–** उपरोत तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 302 भा०द०स० के अपराध के 'एक्शन प्लॉन' के अंतर्गत चिन्हित गंभीर मुकदमें में, साक्षी से प्रतिपरीक्षा जानबूझकर टाल रहा है, जिससे सत्रवाद का विचारण विलंबित हो रहा है।

**4.2–** उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जबकि आवेदक/अभियुक्त गिरीश कुमार शर्मा द्वारा साक्षी से सारवान प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है, उसके इस आशय के अभिकथनों में बल प्रतीत नहीं होता है कि साक्षी से प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त होने के कारण उसे सख्त हकतलफी है।

**5.–** उपरोक्त परिचर्चा के आलोक में प्रार्थनापत्र 121 ख स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थनापत्र 121 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा पी०डब्लू०–03 विनय कुमार तिवारी दिनांक 26–07–2024 को पेश हो। साक्षी पी०डब्लू०–03 विनय कुमार तिवारी पूर्ववत बजरिये एन.बी.डब्लू. तलब हो।

(राकेश सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–02, मथुरा।
आई०डी०–यू०पी० 1614

Digitally signed by RAKESH SINGH
Date: 2024.08.03 16:30:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court